राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(33)ग्राविवि–5/Pmay-G./Guidence/ 2018–19 जयपुर, दिनांक 06 .01. 2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बारॉं।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत मानसिक रूप से विक्षिप्त, वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थीयों के आवास निर्माण कराए जाने के संबंध में।

प्रसग :– आपका पत्रांक जिप/ग्रावि/प्र.आ.यो./2019–20/1087–89 दिनांक 30.12.2019।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत आप द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मानसिक रूप से विक्षिप्त वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थीयों के आवास निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन का फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 5.5.2 के अनुसार "लाभार्थी के वृद्ध अथवा अक्षम अथवा दिव्यांग होने के मामले में यदि वह स्वयं आवास निर्माण करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार के आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ लाभार्थियों के छूट जाने के मामले में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके आवास का निर्माण करने के लिए उनकी सहायता ग्राम पंचायतों अथवा जमीनी स्तर के कर्मियों के माध्यम से की जाए।"

अतः उक्त प्रावधानानुसार अक्षम लाभार्थियों के आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जावे इसके उपरांत भी छूटे हुए लाभार्थियों के आवास निर्माण हेतु उनकी सहायता ग्राम पंचायतों अथवा जमीनी स्तर के कर्मियों के माध्यम से की जाए।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
3. जिला कलक्टर , समस्त राजस्थान
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि